

1.2.24

वकील वादी अनुपरिधत । वादी स्वयं
अनुपरिधत । बार-बार आवाज लगवाई गई
लेकिन वादी असालतन । वकालतन हाजिर
नहीं आने से पत्रावली को वर्तमान
दतर पर भ्रम पैरकी । 3500 हाजरी
में खारिज किया जाता है ।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
बाद तकमील पाइल वफर है ।

(स्वामि गुप्ता)

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

